खबर संक्षेप

थाना बिछिया में होली के त्यौहार के चलते हुई शांति समिति की बैठक

भुआबिछिया। मंडला थाना प्रांगण में आगामी होली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में शंकर सिंह मरावी, मनोज निगम, रंजीत सिंह सैयाम एवं थाना बिछिया का समस्त पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। बैठक के दौरान उपस्थित जनों को होली का पर्व शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। सभी समुदायों से एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने, जबरन रंग न लगाने, डीजे/लाउडस्पीकर का प्रयोग न करने, नशे की हालत में हुड़दंग न करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने हेतु समझाइश दी गई। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक या अफवाह फैलाने वाली सामग्री प्रसारित न करने की हिदायत दी गई। आम नागरिकों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दें। बैठक के अंत में उपस्थित नागरिकों ने होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने तथा प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में शंकर सिंह मरावी तहसीलदार बिछिया ,निरीक्षक रंजीत सिंह सैयाम थाना प्रभारी बिछिया मनोज निगम कार्यालय प्रभारी एवं योजना सहायक नगर परिषद बिछिया, थाना बिछिया का समस्त पुलिस स्टाफ उपस्थित रहे।

एक ही परिवार के 6 लोगों की वीभत्स हत्या का था आरोपी

मनेरी सामूहिक हत्याकांड के दोषी को फांसी की सजा

*** हत्यारे ने दो बच्चों को भी नहीं छोड़ा और भाई के समधी को भी उतारा था मौत के घाट।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

मंडला जिला के मनेरी ग्राम में जघन्यतम सामूहिक हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायालय मंडला ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

उक्त सामूहिक हत्याकांड में वर्ष 2020 में मनेरी के चर्चित भाजपा नेता और परिवार के दो मासूमों सहित छः लोगों की हत्या हुई थी जबकि पांच अन्य लोग घायल हुए थे।

माननीय न्यायालय ने गत 15 जुलाई 2020 दिन बुधवार को मंडला के मनेरी ग्राम हत्याकांड के दो आरोपियों में से एक जीवित हरी उर्फ़ हरीश सोनी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

उक्त घटना के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस पर भी आरोपीयों ने हमला किया था, और जवाबी पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी की मौत हुई थी, जबकि दूसरे आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया था, और तभी से आरोपी मंडला कारावास में था। मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मंडला द्वारा 26/02/2026 को दी गई जानकारी अनुसार उक्त हत्याकांड के आरोपी हरी उर्फ हरीश सोनी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। थाना बीजाडांडी के अपराध क्रमांक 106/2020 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 81/2020 के आरोपी हरीश सोनी पिता सुंदर लाल सोनी निवासी ग्राम मनेरी थाना बीजाडांडी मामले की सुनवाई करते हुये विद्वान न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा ने यह निर्णय दिया।

एक ही परिवार के 06 लोगों को उतारा मौत के घाट

खूनी संघर्ष में सात की हुई मौत

भीड़ ने एक आरोपी को मारा, हुई मौत।

पीएम आवास योजना का लाभ न मिलना बनीं हत्या की बजह

आवेदक द्वारा थाना व न्यायालय में दिये कथन अनुसार आरोपी दोनों भाई मृतक सोनी परिवार के उप सरपंच से सिर्फ इसलिये दुश्मनी बनाये हुये थे कि उपसरपंच रज्जन ने ही जान बूझकर हमें पीएम आवास योजना से वंचित कर रखा है, और तभी से दोनों हत्यारे भाई भविष्य में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना चुके थे, और मौका मिलते ही राजेन्द्र सोनी,रानू सोनी, विनोद सोनी और इनके दो छोटे बच्चे ओम सोनी 8 वर्ष शीयांश 6 वर्ष, राजेन्द्र के समधी दिनेश सोनी की तलवार व कुल्हाड़ी से सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दे डाला था। घटना की सूचना जैसे ही फोन पर मिली थाना प्रभारी बीजाडांडी के साथ निवास एवं थाना टिकरिया का बल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस निवास सहित उपस्थित थे। तब दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया जिसमें आरोपियों ने पुलिस पर भी हमला किया पुलिस द्वारा जबावी कार्यवाही की थी, और एक आरोपी संतोष सोनी मौके पर ही मारा गया एवं दूसरे भाई हरी उर्फ़ हरीश सोनी को पुलिस द्वारा पैर में गोली मारकर काबू में किया गया। थाना बीजाडांडी ने मामले में विवेचना पूर्ण करके माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण को पुलिस निरीक्षक मण्डला द्वारा चिन्हित एवं सनसनीखेज श्रेणी में रखा गया था। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए मान्नीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण के आरोपी हरी उर्फ हरीश सोनी को धारा 302 भादंवि में मृत्युदंड एवं 500.00 की दर से 6 काउंट कुल 3000.00 रू० अर्थदंड, धारा 307 भादंवि में 5 काउंट आजीवन कारावास (एक के बाद एक) एवं 2500.00 रू० अर्थदंड, धारा 449 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500.00 रू० अर्थदंड, धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष कारावास एवं 1000.00 रु० अर्थदंड कुल अर्थदंड 7000.00 रू० से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अभियोजन संचालन, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्वला उईके द्वारा किया गया। प्रकरण में विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सुदर्शन टोप्पो, मर्ग जांच चौकी प्रभारी एस०एस० उसराठे ने की एवं इसके अतिरिक्त प्रकरण के विचारण के दौरान साक्षियों को संमंस वारंट तामील कराते हुए समय पर उस्थित कराने में उप निरीक्षक पंकज विश्वकर्मा एवं उप निरीक्षक शशांक शुक्ला मनेरी, आरक्षक क्र0 297 रोशनलाल सिंगरौरे द्वारा साक्षियों को संमंस वारंट निकालने, एवं अभियोजन कार्य में सहायक ग्रेड 3 नंद किशोर साहू का विशेष सहयोग रहा।

चंडीगढ़ से लौटी रितिका मण्डला चिकित्सालय में हो रहा उपचार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

गंभीर रूप से बीमार रितिका को एयरलिफ्ट कर भेजा गया चंडीगढ़

मण्डला जिले में पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा का सफल आगाज।

आयुष्मान योजना अंतर्गत हाईब्रोसिस एवं पल्मनरी आर्टरीज हाईपर टेंशन जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित 16 वर्षीय कु. रितिका यादव को एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेज्युेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च उपचार हेतु भेजा गया था कु. रितिका को एयर एम्बुलेंस की सुविधा स्थानीय बिछिया विधायक की अनुशंसा पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा के प्रयासों से मिली थी इसके पूर्व रितिका का ईलाज नागपुर मेडिकल कॉलेज में हो रहा था चंडीगढ़ में रितिका की सभी तरह की जांचे त्वरित की गई और फिर वहां के जो विशेषज्ञ चिकित्सक थे उन्होंने इस केश की स्टडी की और 04 दिन तक चंडीगढ़ में ही रितिका का उपचार किया चूंकि रितिका को जो बीमारी है उसका फिलहाल कोई स्थायी ईलाज नहीं है चंडीगढ़ में चिकित्सकों ने रितिका की माँ तरेसा यादव को बताया कि फिलहाल रितिका को जो उपचार नागपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा दिया जा रहा था उसे ही देना है इसके साथ एक इंजेक्शन उन्होंने अपनी ओर से दिया और इसे भी लगातार लेने की सलाह दी।

एयर एम्बुलेंस सुविधा जो शासन-प्रशासन के प्रयासों से मिली थी उसके साथ ही रोटरी क्लब के पदाधिकारियों द्वारा तरेसा यादव को लगभग 40 हजार रूपये की नगद राशि भी सहयोगात्मक प्रदान की गई जिसमें से लगभग 36 हजार रूपये पहले चंडीगढ़ जाते समय ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के माध्यम से दे दिये गये थे लगभग 4 हजार रूपये अब जबकि रितिका मण्डला वापिस आ चुकी है तो उसे दिये जाने की बात कही जा रही है।

रितिका की माँ तरेसा का कहना है कि रितिका को चंडीगढ़ में जनरल वार्ड में रखा गया था। जनरल वार्ड में उपचार से तरेसा यादव ने संक्रमण होने की आशंका जताई थी लिहाजा जब वहां उपचार हो चुका था और आगे के उपचार की क्या प्रणाली होगी इसे भी समझा दिया गया था तो तरेसा यादव अपनी बेटी रितिका को लेकर मण्डला आई और वर्तमान में मण्डला जिला चिकित्सालय में वह उपचाररत है।

कलेक्टर एवं एसपी की मौजूदगी में सौहार्दपूर्ण त्यौहार मनाने का आह्वान

*** शांति समिति की बैठक संपन्न।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

जिले में आगामी त्यौहारों होली, चैटीचंड, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, रामनवमी, हनुमान जयंती एवं अन्य पर्वों को शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मनाने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा की उपस्थिति में जिला योजना भवन में आयोजित की गई। बैठक में आगामी त्यौहारों के संबंध में समिति सदस्यों से विस्तृत सुझाव लिए गए और सभी ने मिलकर सामाजिक समरसता बनाए रखने पर सहमति जताई।

बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष श्री विनोद कछवाहा, अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, एडिशनल एसपी श्री शिवकुमार वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री हुनेन्द्र घोरमारे, एसडीओपी श्री पीयूष मिश्रा, मंडला एसडीएम श्रीमती सोनल सिडाम सहित अन्य संबंधित अधिकारी, मीडियाकर्मी तथा शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में बताया गया कि 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। तिथि के अनुसार 3 एवं 4 मार्च को धुलेड़ी पर्व मनाया जायेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि होलिका दहन बिजली के तारों के नीचे न किया जाए। होलिका दहन मुख्य मार्गों पर अथवा सार्वजनिक चौराहों के बीच में न करें। अंजान व्यक्ति पर जबरन रंग या गुलाल न डालें। केमिकल युक्त रंगों से बचते हुए हर्बल गुलाल और प्राकृतिक रंगों के उपयोग को प्रोत्साहित करें। होलिका दहन में कंडे एवं गौ-काष्ठ के उपयोग की सलाह दी गई।

नगर पालिका द्वारा धुलेड़ी के दिन प्रातः 7 बजे निर्धारित समय पर जल प्रदाय किया जाएगा। समिति सदस्यों के सुझाव पर शाम 4 बजे की जाने वाली जल आपूर्ति को धुलेड़ी पर्व पर दोपहर 3 बजे करने पर सहमति बनी। चूंकि इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं का संचालन भी जारी है, इसलिए देर रात तक डीजे या तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा तथा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस संबंध में डीजे संचालकों के साथ बैठक एसडीएम स्तर पर आयोजित कर पृथक से निर्देशित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था के लिए एम्बूलेंस, पैरामेडीकल टीम तथा फायरब्रिगेड तैनात रखने के संबंध में सीएमएचओ को आवश्यक निर्देश दिए। विद्युत विभाग को बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने सभी से अपील की कि "हम सभी का त्यौहार है", इसे संयम और जिम्मेदारी के साथ मनाएं।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने बताया कि 2 मार्च की शाम माहिष्मती घाट पर फूलों एवं हर्बल रंगों की होली आयोजित होगी। एसपी श्री सकलेचा ने कहा कि धुलेड़ी पर्व पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा विभिन्न पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे तथा ब्रीथ एनालाइजर के साथ जांच की जाएगी। अभिभावकों से अपील की गई कि वे बच्चों को सावधानी और जिम्मेदारी के साथ त्यौहार मनाने की समझाइश दें। तेज गति से वाहन न चलाने और नदी तट पर स्नान न करने की सलाह भी दी गई।

बैठक के अंत में कलेक्टर एवं एसपी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे कानून व्यवस्था का पालन करते हुए संयमित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाएं, ताकि जिले की शांति और भाईचारा बना रहे।

देर रात बुलेरो और मोटर साइकिल की टक्कर से एक की मौत

भुआबिछिया। नेशनल हाईवे 30 भड़गा के आगे हुआ भीषण सड़क हादसा बुलेरो और मोटरसाइकिल की भीड़त मोटरसाइकिल चालक की हो गई मौके पर दर्दनाक मौत घटना देर रात की बताई जा रही है जिले के बिछिया थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर हुआ भीषण सड़क हादसा घटना देर रात्रि गणेश पेट्रोल पम्प के पास की हे बुलेरो और स्प्लेंडर मोटर साइकिल बाइक की भिड़ंत से मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई,मृतक की पहचान अभय जोगी निवासी सिझोरा फोंक के रूप में हुई वही डायल 112 को घटना की जानकारी लगते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया भेजा जहां शव का सुबह पोस्टमार्टम करवा कर शव को परिजनों को सौप दिया गया है पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

स्वच्छता के जनक राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज की 150 वी जयंती मनाई गई

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला/निवास

रजक समाज निवास तहसील में स्वच्छता के जनक कहे जाने वाले राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज की 150वी जयंती बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया, कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम संत गाडगे महाराज की फोटो पर माल्यार्पण, तिलकवंदन दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिनमें सर्व रजक समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संत गाडगे महाराज ने सामाजिक कल्याण के लिए किए गए कार्यों को समाज सुधार और स्वच्छता के मार्ग में चलने की प्रेरणा लिए। सभी लोगों ने अपने अपने विचार को व्यक्त किए, रजक समाज एबीडीएम के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष करन रजक ने कहा कि समाज में फैले अंधविश्वास, असमानता और कुरीतियों को दूर करने करने पर जोर दिया गया, ताकि रजक समाज एक जुट हो सके। रजक समाज के युवा प्रकाश रजक का कहना था कि हर समाज एक जुट है फिर अपना अलग क्यों है, जबकि सभी रजक समाज को एक जुट रहना चाहिए ताकि समाज का विकास होगा। इसके साथ ही रजक समाज के सभी लोगों ने महाराज गाडगे महाराज के आदर्शों पर चलने की सभी लोगों ने शपथ लिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने में विशेष सहयोग एबीडीएम युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष करन रजक, रजक समाज के वरिष्ठ राजेश रजक (मुस्कान हार्ड वेयर), प्रभुलाल रजक, प्रकाश रजक, हरि रजक, नंद किशोर रजक,संत प्रताप, (लालू) रजक, राजेश रजक, गोलू रजक, कमलेश रजक, महेश रजक, दीपक रजक, सुनील रजक, रिंकू रजक,सुरेंद्र रजक, मनोज रजक,राजा रजक, ब्रजेश रजक व अन्य उपस्थित रहे।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं महेन्द्र कुमार बैरागी पिता वीर सिंह बैरागी निवासी ग्राम सिद्धटोला खैरी तहसील व जिला मंडला (म.प्र.) का निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक करता हूँ कि- यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूँ। मेरा पूरा व सही नाम महेन्द्र कुमार बैरागी है जो कि मेरे आधार कार्ड से प्रमाणित है।

यह कि मेरा ड्राईविंग लाईसेंस आर.टी.ओ कार्यालय मंडला से प्राप्त है जिसका कमांक MP51 R-2020-0025188 है. जिसमें मेरा नाम महेन्द्र कुमार बघेल दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक एवं सही नाम महेन्द्र कुमार बैरागी है।

अतः मेरी वाहन चालक अनुज्ञप्ति में अंकित महेन्द्र कुमार बघेल के स्थान पर महेन्द्र कुमार बैरागी अंकित किया जाये।

यह कि, मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य व सही है, जो संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

नाम परिवर्तन सूचना

मैं भीष्म द्विवेदी पिता स्व. कृष्ण मुरारी द्विवेदी आयु 50 वर्ष निवासी राजीव कॉलोनी झंडा चौक देवदरा, मंडला तहसील व जिला मंडला (म.प्र.) का निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक करता हूँ कि- यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूँ। मेरा आधार नंबर- 3180 2813 9630 है।

यह कि मेरा ड्राईविंग लाईसेंस आर.टी.ओ कार्यालय मंडला से प्राप्त है जिसका कमांक MP51 20030000197 है. जिसमें मेरा नाम भीषम दुबे BHEESHAM DUBEY दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक एवं सही नाम भीष्म द्विवेदी BHEESHM DWIVEDI है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड पास बुक एवं अन्य सभी दस्तवेजो में दर्ज है। अतः मेरा ड्राईविंग लाईसेंस में मेरा नाम भीषम दुबे BHEESHAM DUBEY को विलोपित कर भीष्म द्विवेदी BHEESHM DWIVEDI दर्ज किया जावे जो पूर्णतः सत्य व सही है।

यह कि, मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य व सही है, जो संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

कार्यवाही | **बिना नंबर प्लेट वाले 101 वाहनों पर चला विशेष अभियान।**

मौके पर ही लगवाई गई नंबर प्लेट

*** सख्त कार्यवाही करते हुये कराया नियमों का पालन।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

पुलिस अधीक्षक मंडला रजत सकलेचा के निर्देशन में जिले भर में यातायात नियमों के प्रभावी पालन एवं अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए बिना नंबर प्लेट संचालित वाहनों के विरुद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंडला मुख्यालय स्तर पर एसडीओपी मंडला पीयूष मिश्रा के मार्गदर्शन में आज दिनांक 26/02/2026 को थाना कोतवाली, थाना यातायात एवं थाना महाराजपुर पुलिस द्वारा विभिन्न चेकिंग प्वाइंट स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट संचालित वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें थाना कोतवाली द्वारा 35 वाहन, थाना यातायात द्वारा 40 वाहन तथा थाना महाराजपुर द्वारा 26 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल 101 बिना नंबर प्लेट वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान मंडला पुलिस द्वारा कई वाहनों में मौके पर ही वैध नंबर प्लेट लगवाकर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया गया।

साथ ही वाहन चालकों को आवश्यक दस्तावेज साथ रखने एवं यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई।

मंडला पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील है कि वे अपने वाहनों में वैध नंबर प्लेट लगाकर तथा हेलमेट धारण कर ही वाहन संचालन करें।सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की चेकिंग एवं चालानी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली श्री शफीक खान, यातायात थाना प्रभारी श्री ललित धुर्वे एवं थाना प्रभारी महाराजपुर श्री जय सिंह यादव सहित उनकी पुलिस टीमों द्वारा सघन चेकिंग अभियान संचालित किया गया।

कौड़िया में नाबालिग के साथ घटित दुष्कर्म को लेकर आक्रोशित परिजनों ने किया चकाजाम

आरोपी की दुकान पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। कुछ दिनों पूर्व समीपस्थ ग्राम में जिस तरह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई हुई थी उसका लेकर भले ही पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला कायम करते हुये गिरप्तार कर लिया गया है। मगर इस घटना के चलते ग्राम कौड़िया सहित संपूर्ण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। ज्ञात हो कि बीते हुये 19-20 फरवरी की दरम्यानी रात जब मासूम अपने घर पर थी उसी समय पिता के साथ काम करने वाले 28 वार्षिय युवक द्वारा नाबालिग को जान से मारने की धमकी देते हुये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वही संपूर्ण घटनाक्रम से जब मासूम द्वारा अपने परिवार के लोगों को अवगत कराया तो उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस थाने में की गई जिसके चलते पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ 64(1),65(1),332(b), 351(3) बी.एन.एस., 3,4 पॉक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । वही मामले की सच्चाई से नगर निरीक्षक अशोक सिंह चौहान द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना ने 14 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ घृणित कृत्य करने वाले आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किये जाने के चलते। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया एवं उप पुलिस अधीक्षक ललित सिंह डागुर के मार्ग दर्शन तथा नगर निरीक्षक अशोक सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस प्रकार से आरोपी की खोजबीन के लिये बनाई गई इस टीम में मुख्य रूप से टीआई अशोक सिंह चौहान के आलवा उप निरीक्षक मनीषा लिल्हारे, सहायक उप निरीक्षक राजेश तिवारी, प्रधान आरक्षक अंजली दुबे, वरिष्ठ आरक्षक अखिलेश पटेल को शामिल किया गया था। इस टीम द्वारा अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय करते हुये घटना के चंद घंटे उपरांत ही आरोपी को बाहर भागने के पहले ही गिरप्तार करने में सफलता हासिल की गई थी। मगर इसके बाद पीड़िता के परिजनों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को एक ज्ञापन देते हुये बताया गया था कि आरोपी द्वारा के परिजनों द्वारा उन्हें रिपोर्ट किये जाने की बात को लेकर धमकी दी जा रही है। वही शिकायत में यह भी आरोप लगया गया था कि आरोपी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करते हुये जहां अपना आवास बनाया गया है वही दूसरी ओर शासकीय भूमि पर दुकान का निर्माण किया गया है। इस तरह अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाये जाने की मांग की गई थी। इसी के चलते प्रशासन द्वारा आरोपी की संपत्ति की जांच कराते हुये बीते हुये गुरूवार को जब प्रशासन की टीम ग्राम कौड़िया पहुंचते हुये बुलडोजर की कार्यवाही शुरू की गई थी। आक्रोशित परिजनों द्वारा प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुये जहां हगांमा करना शुरू कर दिया गया। परिजनों का आरोप था कि प्रशासन की टीम द्वारा आरोपी द्वारा जिस तरह शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है उसे हटाने के नाम पर मात्र औपचारिकता निभाई जा रही है। इसी बात को लेकर स्टैट हाइवे पर चकाजाम शुरू कर दिया गया। इस तरह गाडरवारा करेली मुख्य मार्ग पर शुरू किये गये चकाजाम के चलते दोनो ओर वाहनों की लम्बी लाईन लगी हुई देखी गई। इस तरह मौके पर मौजूद तहसीलदार व नगर निरीक्षक अशोक सिंह चौहान द्वारा परिजनों को अपनी ओर से कार्यवाही का पूरा भरोसा देने के साथ आरोपी द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुये जहां जमीदोज किया गया। वही अन्य भूमि की जांच कराना भी शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि आरोपी द्वारा अन्य शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया होगा तो उसे भी तोड़ा जावेगा। कार्यवाही में किसी तरह से कोई पक्षपात नही होगा। इस दौरान कौड़िया में भारी पुलिस बल तैनात रहने के चलते जहां ग्राम कौड़िया छावनी के रूप में नजर आने से नही चूक रहा था। पीडित को न्याय की मांग करने वाले आक्रोशित लोगों द्वारा किये गये चकाजाम के चलते काफी समय तक वाहनों के पहिया थमे रहने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करने के लिये मजबूर होते हुये देखा गया।

खबर संक्षेप

मवेशी बाजार में हुई मारपीट

गाडरवारा। नगर के पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस समीपस्थ ग्राम बोदरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि जब वह शनि मंदिर के पास मवेशी बाजार में खड़ा हुआ था उसी दौरान सौरभ ठाकुर नामक युवक मिला और प्रार्थी को गंदी गंदी गालिया देने लगा। जब प्रार्थी द्वारा गाली देने से मना किया तो आरोपी द्वारा मारपीट करते हुये चोटे पहुंचाई व जान से मारने की धमकी दी गई। घटना को लेकर प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

बिजली लाईन को लेकर की मारपीट

गाडरवारा। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस समीपस्थ ग्राम आमगांव छोटा निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि मैने मैने गांव के लीला वर्मा की जमीन सिकमी ली गई है। बीते हुये दिवस की बात है कि जब प्रार्थी द्वारा सिकमी लिये गये खेत मौजा झाझनखेड़ा में विधुत कनेक्शन का तार ट्रांसफार्मर से निकला हुआ था। इस बात पर जब प्रार्थी द्वारा दुर्गेश वर्मा से पूछा कि तुम्हारे खेत में डी.पी लगी है उससे मेरा कनेक्शन किसने निकाला है। इसी बात पर दुर्गेश वर्मा द्वारा प्रार्थी को गंदी गंदी गालिया देते हुये लाठी से मारपीट कर चोटे पहुंचाई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। घटना को लेकर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

रास्ते पर मोटर साईकिल खड़ी करने पर कर दी पिटाई

गाडरवारा। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस ग्राम महगंवा चिर्रिया निवासी कक्षा बारहवी में अध्ययनरत छात्र द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि वह बीते हुये दिवस कौडिया बाजार जूता खरीदने के लिये आया हुआ था। इस दौरान प्रार्थी अपनी बाइक को दुकान के सामने खड़ी करने के बाद दुकान के अंदर चला गया। इस बीत रंजीत जाटव व गोलू जाटव आये और गंदी गंदी गालिया देते हुये दुकान के सामने गाडी खड़ी किये जाने की बात को लेकर विवाद करने लगे। प्रार्थी द्वारा गाली देने का विरोध करते हुये कहा कि गाडी में हटा देता हूं। इसी बात को लेकर दोनों आरोपियों द्वारा एक राय होकर प्रार्थी के साथ मारपीट करते हुये चोटे पहुंचाई व जान से मारने की धमकी दी गई। घटना को लेकर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाप मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

भैस खरीदने बेचने की बात को लेकर हुई मारपीट

गाडरवारा। स्थानीय पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस समीपस्थ पलोहा निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि हूँ भैस खरीदी बिक्री का धंधा करता हूँ । बीते हुये दिनों अपने भाई शंकर सिंह गुर्जर के साथ गाडरवारा पशु बाजार भैस खरीदने आया था। जहा पर मेरे चाचा मानसिंह गुर्जर निवासी पलोहा भी अपनी भैस बेचने आये थे । इस दौरान रामेश्वर गुर्जर, रोहित गुर्जर, अज्जू गुर्जर निवासी खैरी के भैस खरीदने बेचने की बात को लेकर प्रार्थी को गंदी गंदी गलिया देने लगे। जब प्रार्थी द्वारा गाली देने से मना किया तो तीनों ने झूमाझटकी करते, रामेश्वर गूर्जर, रोहित गूर्जर, अज्जू गुर्जर मारपीट की गई। उसी समय संतोष गूर्जर और रहीश गूर्जर भी आ गये। उनके द्वारा भी प्रार्थी के साथ मारपीट करते हुये चोटे पहुंचाये जाने पर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

माँ सहित पुत्र को पालतू द्वारा काटे जाने पर मामला दर्ज

गाडरवारा। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये नगर के विवेकानंद वार्ड निवासी एक महिला द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि मै कपड़ा सिलाई का कार्य करती हूं। बीते हुये दिवस की बात है कि में अपने बेटा शिवाय विश्नोई को लेकर मोहल्ले की श्री किराना दुकान सामान लेने जा रही थी। उसी समय सूरज साहू अपने पालतू कुत्ते को चेन में बांधकर घूमा रहा था ।जैसे ही मैं सूरज साहू के घर के सामने पहुची तो सूरज साहू के कुत्ते ने प्रार्थिया को सामने से आकर बायें पैर में घुटने के नीचे काट दिया जब वह चिल्लाई तो प्रार्थिया के लड़के शिवाय को भी दोनों पैरों में कुत्ते द्वारा काटे जाने के चलते पुलिस ने कुत्ते का पालन करने वाले के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

एनटीपीसी ने उत्साह के साथ मनाया14वां स्थापना दिवस

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। क्षेत्र में एनटीपीसी की स्थापना जहां एक बडी उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। तो दूसरी ओर हर वर्ष 26 फरवरी को एनटीपीसी अपना स्थापना दिवस मनाते हुये देखा जाता है। इसी प्रकार से बीते हुये 26 फरवरी दिन गुरूवार को गाडरवारा एनटीपीसी द्वारा अपना 14 वां स्थापना दिवस संस्था की परम्परा के अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में कैक काटते हुये मनाया गया। 26 फरवरी 2026 को देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी के गाडरवारा संयंत्र ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण और मध्यप्रदेश को निरंतर विद्युत प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं परियोजना प्रमुख हिम्मत सिंह चौहान द्वारा ध्वजारोहण के साथ किया गया। वही ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान गाया गया तथा उपस्थित सभी जनों ने संस्थान की प्रगति एवं राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई। अपने प्रेरणादायक संबोधन में चौहान ने एनटीपीसी गाडरवारा की अब तक की उपलब्धियों, उच्च मानकों पर आधारित संचालन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता तथा सुरक्षा संस्कृति को विस्तार से रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संस्थान की सफलता का श्रेय कर्मचारियों की निष्ठा, टीम वर्क और समर्पण को जाता है। वही उन्होंने भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करते हुए नवाचार, दक्षता और सतत विकास को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।इस विशेष अवसर को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ते हुए एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर में कर्मचारियों एवं अन्य प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया। यह पहल एनटीपीसी गाडरवारा की सामाजिक प्रतिबद्धता एवं जनकल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाती है।कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष (HODs), कर्मचारी यूनियन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्थान की उपलब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। समापन के अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने एनटीपीसी गाडरवारा की निरंतर उन्नति, सुरक्षित संचालन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

गौशालाओं को स्वावलंबन और आधुनिक प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। गौशालाओं को स्वावलंबन, आधुनिक प्रबंधन और गौ संवर्धन में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से बीते हुये दिवस नगर की श्री दयोदय गौशाला में एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि इस कार्यशाला में विकासखंड की लगभग 25 गौशालाओं के संचालकों ने भाग लिया। वही कार्यशाला में उन्हें गौ-उत्पादों के निर्माण और आधुनिक प्रबंधन की बारीकियों से अवगत कराया गया।

कार्यशाला में तहसीलदार प्रियंका नेताम, गौशाला संचालक राजीव जैन, उप संचालक डॉ. सुनील बृजपुरिया, राजकुमार जैन, श्री शैलेश राव सहित गौशालाओं के संचालक मौजूद थे। कार्यशाला में विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से आकर्षक और पर्यावरण- अनुकूल दीपक बनाने, शुद्धता व गुणवत्ता के साथ गौ-रस तैयार करने और गौ-काष्ठ बनाने की तकनीक आदि पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान नवनीत उमरे एवं अजय पटेल ने त्रिनेत्री गौशाला में किए गए नवाचारों व उसकी सफलता के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करते हुये उन्होंने बताया कि इस गौशाला में प्रभावी प्रबंधन और भूसा मशीन के क्रय से अपनी चार संबद्ध गौशालाओं में पशुओं की संख्या को बढ़ाकर विस्तार किया गया। इससे अन्य गौशाला संचालकों के लिए प्रेरणा का उदाहरण रहा है। पशु पालन विभाग की डॉ. पूनम दोहरे, डॉ. श्रेया दुबे, डॉ. एनके कुशराम व डॉ. महेन्द्र पाल ने प्रशासनिक एवं तकनीकी मार्ग दर्शन दिया गया। वही आयोजित की गई इस कार्यशाला के माध्यम से जिले की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गौ-सेवा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का एक ठोस रोडमैप तैयार किया गया है। प्रशिक्षण के उपरांत गौशालाओं के संचालकों को आ रही व्यावहारिक समस्याओं के संबंध में बैठक आयोजित कर विस्तृत चर्चा की गई।

क्षेत्रों के गांवों में कागजों के हिसाब से तो नियुक्त है स्वास्थ्य कर्मी, मगर चक्कर कटते रहते है ग्रामीणजन

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। क्षेत्र के अंतर्गत अनेक गांवों में अनेक शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापति किये गये है, मगर यदि ईमादारी से देखा जावे तो इन शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ चरमरा रही है? एक तरफ मौसमी बीमारियों का प्रकोप होने के साथ साथ इस समय अन्य नये प्रकार की दहशत संपूर्ण क्षेत्रवासियों को दहशत में डालने से नही चूक रही है तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कमी नर्स व मलेरिया वर्कर अपने मुख्यालय से गायब रहतें है? ऐसे में टीकाकरण सहित शासन द्वारा ग्रामीणजनों के नाम पर चलााई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल होगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, शायद ही इसका किसी के पास कोई जबाव हो? वही दूसरी ओर देखा जावे तो इस समय लगातार फैल रही मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते हुये क्रम में देखने मिल रही है? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई प्रसूताओं व शिशुओं के लिए टीकाकरण में भी देखने मिल रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में शायद ही कभी निर्धारित तिथि पर लगते हुये देखे जा रहे हो...? इस सच्चाई को लेकर बताया जाता है कि गॉवों में प्रसूताओं को नर्से बजाय शासकीय दवाएँ उपलब्ध कराने के बाजार की दवाएँ मगवाती है । जबकि गौर किया जावे तो राज्य सरकार का कहना है कि अस्पातालों के भण्डारण में सभी आवश्यक दवाएँ उपलब्ध है मगर इसके बाद भी प्रसूताओं एवं रोगियों के लिए ये दवाऍ गॉवों में पहुँच रही है कि नही इस बात का पता नही चल रहा है कि आखिर में ग्रामीणों को मिलने वाले दबाईयाँ कहा चली जाती है? इस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं पर जहां प्रश्न चिन्ह लगते हुए जान पड़ रहा है? वही दूसरी ओर लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रो से लाभ नही मिलने की स्थिति में वह भटकते हुए देखे जा रहे है?

मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए एक डम्पर जप्त

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। मिट्टी के अवैध खनन व परिवहन को लेकर बीते हुये दिवस जिला कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देशन में खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अलग अलग जहां में निरीक्षण कर अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में बीते हुये दिवस निरीक्षण के दौरान गाडरवारा तहसील के ग्राम बसुरिया के पास खनिज मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए एक वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 28 जी 3139 को जब्त कर पुलिस चौकी सालीचौका में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। यह जानकारी प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा नरसिंहपुर ने दी है।

नगर की शांति व्यवस्था को भंग करने वालों पर पुलिस द्वारा रखी जावेगी पैनी

होली के त्यौहार पर डीजे व मुखोटा लगाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

थाना प्रागंण में आयोजित शांति समिति की बैठक में रंगों के त्यौहार हर्ष के साथ मनाने के लिये अनेक बिंदुओं पर हुई चर्चा...

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। रंगों से भरा हुआ होली त्यौहार इस तरह से होता है कि लोग अपनी मर्यादाओं भूलने में कोई कसर नही छोड़ते है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन के लिये होली त्यौहार एक चुनौती के समान साबित होने से नही चूकता है..? क्योंकि इस साल बडे ही त्रिवेणी संगम के बीच पड़ रहा होली त्यौहार निश्चित तौर से पुलिस व प्रशासन के लिये एक चुनौती के समान दिखाई देने से नही चूक पा रहा है..? क्योंकि मुस्लिम भाईयों का रमजान माह के बीच होली त्यौहार पड़ रहा है। इस तरह होली के बीच रमजान माह का संगम के चलते पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाने की व्यवस्थाओं में जुटीं हुई देखी जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये जहां पुलिस प्रशासन अभी से पूर्णतः अलर्ट मूड में नजर आने लगा है। वही दूसरी ओर गाडरवारा अनुविभाग के अंतर्गत सभी पुलिस थानों से लेकर पुलिस चौकियों में शांति समिति की बैठको का आयोजन करते हुये लोगों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है। गुरूवार को पुलिस थाना प्रागंण में शांति समिति की बैठक आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा के आलवा अनुविभागीय अधिकारी कलावती व्यारे, प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक ललित सिंह डागुर, नगर निरीक्षक अशोक सिंह चौहान, तहसीलदार प्रियंका नेताम व मुख्य नगर पालिका अधिकारी वैभव देशमुख अन्य गणमान्य लोगों की मौजूगी में आयोजित की गई। होली का त्यौहार शांति पूर्वक मनाने को लेकर आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी होलिका दहन, धुरेड़ी, रंगपंचमी आने वाला चैत्र नवरात्र पर्व, रमजान माह, ईद त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित की गई बैठक अधिकारियों ने कहा कि जिले में शांति, आपसी सौहार्द, सदभाव एवं एकता की गौरवशाली परंपरा रही है। इसी के अनुरूप आगामी त्यौहार मनाये जायेंगे। उन्होंने होलिका दहन में लकड़ी की अपेक्षा गोबर के कंडे व गौकाष्ठ का उपयोग करने पर जोर दिया। बैठक में नागरिकों से अपील की कि नगर गाडरवारा की शांति, सद्भाव एवं एकता की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप जिसके चलते आगामी होली, रंगपंचमी सहित सभी त्यौहार मिल-जुलकर आपसी भाईचारे के साथ मनाये जायें। बैठक में कुछ लोगों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इन पर अमल का भरोसा अधिकारियों द्वारा दिया गया। वही बैठक में निर्णय लिये गये कि में होलिका ऐसे स्थान पर रखी जाये, जहां आवागमन प्रभावित नहीं हो। होलिका दहन निर्धारित समय पर किया जावे। होलिका दहन स्थल विद्युत तारों/ टेलीफोन लाइन के नीचे न किया जाये और मुख्य रूप से डामर व सीसी रोड पर होलिका दहन नहीं हो क्योंकि जिस सड़क पर होलिका दहन होता है वह सड़क बाद में खराब हो जाती है जिससे हम सभी लोगों को परेशान होना पड़ता है। इस बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए मुनादी कराने के लिए के लिये संबंधित निर्देशित किया गया। क्योंकि यह निर्णय उच्च स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठक में लेते हुये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी आदेश दिये गये है।। वही होली त्यौहारों में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, वही कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे। वही दूसरी ओर अक्सर देखा जाता है कि तत्वों द्वारा होली की आड में मुखोटा लगाते हुये अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने से नही चूकते है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मुखोटा व डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। क्योंकि इस समय चल रही वोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए इसमें कोई रियायत नहीं दी जायेगी। इसके बाद भी यदि कोई मनमानी करता है तो सख्ती से कार्रवाई कर ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त किये जायेंगे और बाउंड ओवर की कार्रवाई की जायेगी। यदि किसी कार्यक्रम में आवश्यक होने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग एसडीएम की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। धुरेड़ी एवं रंग पंचमी में केमिकल युक्त पीली मिट्टी का उपयोग नहीं हो। आमजन ज्वलन शील रंगों/ पेस्टों/ गोबर/ कीचड़ का इस्तेमाल न करें। हर्बल रंगों को प्राथमिकता दें। वही दूसरी ओर अवैध शराब की बिक्री नहीं होगी, इसके लिये पुलिस एवं आबकारी विभाग इस पर लगातार निगरानी रखकर कार्रवाई करेंगे। वही दूसरी ओर वरिष्ठ अधिकारियों सहित स्थानीय अधिकारियों ने निर्देशित दिया गया है कि यदि शराब दुकानें शासन के निर्देशानुसार बंद नहीं होंगी तो दुकानें सील कर लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी। अवैध शराब के विक्रय पर भी सख्त कार्रवाई की जायेगी। वर्षो से जिन स्थानों पर होलिका दहन होता चला आ रहा है उन्ही स्थानों पर होलिका दहन किया जावे। क्योंकि पूर्व में नगर कुल 40 स्थानों पर होलिका दहन होता है जिसमें 11 बड़ी होलिका व 29 छोटी होलिका दहन के स्थान निर्धारित है। जिन स्थानो पर बड़ी होलिका दहन होते है उसमें रेल्वे स्टेशन गाधी वार्ड, पलोटन गंज, पानी की टंकी के पास, पुरानी चौकी तिरहा, नदी मुहल्ला छिडाव घाट, पलोहा नाका, बस स्डेन्ट, पुरराना गल्ला मंडी, राठी तिरहा, बल्लभ मार्केट के पास निर्धारित है वही छोटी होलिका दहन वाले स्थानों में रेस्ट हाऊस स्टेश, चीचली रोड, राजवंश होटल के पास, एमबीबीएस होटल पास बीटीआई स्कूल के सामने, पलोटन गंज रोड आचार्य मंदिर के सामने, स्टैट बैंक के सामने, राममंदिर के सामने, चांवडी तिरहा, माता वार्ड बगीचा, कुई मुहल्ला, निरंजन वार्ड, हाथ गेट के सामने हलेबी, जगदीश वार्ड, राजीव वार्ड, बिन्डा मुहल्ला, रायल्टी आफिस के पास, महाकाल तिरहा, एमपीईबी कालोनी, तपोवन स्कूल के पास, कुचबंयि मुहल्ला, पुराना बस स्टेन्ड, पंचवटी कालोनी, खकरिया मंदिर के पास, नर्मदा कालोनी, जमाडा रोड, पतलोन रोड, यशोदा नगर व मरघटा मुहल्ला शामिल है। इस तरह नगर में कुल 40 स्थान होलिका दहन के लये निर्धारित है। वही अधिकारियों द्वारा होलिका दहन में लकड़ी की अपेक्षा गोबर के कंडे व गौकाष्ठ का उपयोग किया जाने की अपेक्षा व्यक्त करत हुये कहा कि इससे हम लकड़ी की बचत कर सकते है। वही होली के मौके पर असामाजिक तत्वों की निगरानी की जावे तथा जबरन चंदा वसूली नहीं की जाये तथा अश्लील गीत- संगीत नहीं बजाया जाये। किसी अजनवी व्यक्ति पर जबरन रंग गुलाल नहीं डाला जाये। वही व्यापारी वर्ग उत्तम किस्म के रंग- गुलालों की बिक्री करें जिससे किसी को कोई क्षति का सामने करने से बचाया जा सके। वही होली/ रंगपंचमी त्यौहारों के दौरान एक घंटे अतिरिक्त जल आपूर्ति की व्यवस्था नगरीय निकायों में की जायेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने एवं वाहन में ओव्हर लोडिंग पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। होली/ धुरैड़ी व रंगपंचमी पर सभी नर्मदा घाटों पर एसडीआरएफ/ होम गार्ड के जवान तैनात रहेंगे।

खबर संक्षेप

जनपद पंचायत करंजिया अध्यक्ष निर्वाचन के लिए प्रेक्षक नियुक्त

डिंडौरी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोगए भोपाल ने जनपद पंचायत करंजिया के अध्यक्ष पद के निर्वाचन के सुचारु संचालन हेतु प्रेक्षक की नियुक्ति की है।आयोग के निर्देशानुसारए मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 19;कद्ध के अंतर्गत श्री गोविंद सिंह चौहान ;राण्सेण्ए सेवानिवृत्तद्ध को प्रेक्षक बनाया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वे आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।जिला प्रशासन की ओर से अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध बजाग रामबाबू देवांगन को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया हैए जो आयोग के दिशा.निर्देशों के अनुरूप चुनाव कार्यवाही संपन्न कराएंगे।जनपद पंचायत करंजिया के अध्यक्ष पद का निर्वाचन 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को नियत है। स्वतंत्रए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह नियुक्ति की गई है।जिला प्रशासन ने मतदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने तथा शांतिपूर्ण मतदान बनाए रखने की अपील की है।

प्रस्फुटन समितियों की सेक्टर स्तरीय द्वितीय पाक्षिक बैठक संपन्न

अमरपुर। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा पुनर्गठित नवीन समितियों की सेक्टर स्तरीय द्वितीय पाक्षिक बैठक ग्राम पंचायत अलोनी में संपन्न हुई। जिसमें जिला समन्वयक धर्मेंद्र चौहान द्वारा गत माह की समीक्षा एवं आगामी माह में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। जिसमें नवांकुर सखी योजना अंतर्गत पौधों के संरक्षणए नर्सरी स्थापना तथा सेक्टर स्तरीय प्रस्फुटन समितियों के प्रशिक्षण के विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही जिला कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखापाल गिरीश साहू द्वारा कार्यालय संधारण लेखा.जोखा दस्तावेजी करण के विषयों पर जानकारी दी गई । ऊर्जा संरक्षण सबके लिए शिक्षाए सबके लिए स्वास्थ्य हरियाली एवं पर्यावरणए उन्नत कृषि बाल विवाहए नशा मुक्ति समग्र स्वच्छता अभियान एवं शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के विषयों पर जानकारी दी गई। आयोजित कार्यक्रम में नवांकुर संस्थाओं से राकेश कुमार मरावीए गणेश केवर्थए बृजेश राठौर मुख्यमंत्री इंटर्सए मेंटर्स राधेश्याम बनवासी तथा सेक्टर के समितियों के अध्यक्ष सचिव एवं छात्र.छात्राएं उपस्थित रहे।

शहपुरा में सनसनीः नाबालिग से दरिंदगी, मां का अर्धनग्न शव प्रेमी के घर में मिला

सिर पर बंधी पट्टी ने बढ़ाए सवाल, FSL टीम पहुंची; जांच के घेरे में रिश्तों का एंगल भी

डिंडोरी/शहपुरा। शहपुरा थाना क्षेत्र में सामने आई एक दर्दनाक और रहस्यमय घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक ओर जहां नाबालिग बालिका के साथ गंभीर आपराधिक कृत्य की आशंका जताई जा रही है, वहीं उसकी मां का शव संदिग्ध परिस्थितियों में अर्धनग्न अवस्था में मिलने से मामला और भी उलझ गया है।बालिका को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकीय निगरानी में उसका उपचार जारी है। पुलिस ने अभी आधिकारिक रूप से किसी अपराध की पुष्टि नहीं की है, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियां गंभीर वारदात की ओर संकेत कर रही हैं।

प्रेमी के घर में मिला शव, रिश्तों का एंगल जांच में

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतिका का विवाह मोहनी रहठा क्षेत्र में हुआ था और उसे चार संतान हैं। करीब तीन वर्ष पूर्व उसके पति का निधन हो चुका था।बताया जा रहा है कि पिछले लगभग पांच माह से महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ शहपुरा के वार्ड क्रमांक 6 में अपने कथित प्रेमी के घर रह रही थी। जिस मकान में महिला का शव मिला, वह उसी व्यक्ति का बताया जा रहा है।अब जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि क्या इस रिश्ते को लेकर कोई विवाद था? क्या घटना के पीछे आपसी तनाव या पारिवारिक विवाद की भूमिका रही? पुलिस इस एंगल को भी गंभीरता से देख रही है।

सिर पर बंधी पट्टी ने बढ़ाया रहस्य

महिला का शव घर के भीतर एक कमरे में अर्धनग्न अवस्था में मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। थाना प्रभारी के अनुसार, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि महिला को चोट लगी थी और किसी ने उसका प्राथमिक उपचार किया। अब यह जांच का विषय है कि उपचार किसने किया किसी चिकित्सक ने या घटना में शामिल व्यक्ति ने ही?यह तथ्य पूरे घटनाक्रम को और अधिक संदिग्ध बना रहा है।

FSL टीम मौके पर, जांच में शुरुआती देरी की चर्चा

मामले की गंभीरता को देखते हुए बालाघाट से फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।स्थानीय सूत्रों के अनुसार, टीम को कुछ समय तक थाना प्रभारी के पहुंचने का इंतजार करना पड़ा, जिससे प्रारंभिक जांच में विलंब की चर्चा भी क्षेत्र में रही। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी सतर्कता और विधिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

FSL टीम हर एंगल से कर रही जांच

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य, कपड़े, संदिग्ध सामग्री एवं अन्य महत्वपूर्ण नमूने सुरक्षित किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल परीक्षण के बाद ही कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सामने आएंगे।*जांच एजेंसियां निम्न बिंदुओं पर विशेष फोकस कर रही हैः*मां और बेटी के साथ हुई घटनाएं आपस में जुड़ी हैं या नहीं?क्या घर में जबरन प्रवेश के संकेत हैं?प्रेमी की भूमिका क्या रही?सिर की चोट और बंधी पट्टी का वास्तविक कारण क्या है?

इन धाराओं मे मामला हुआ दर्ज

पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में BNS की धारा 103(1), 238 तथा 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अपराध क्रमांक 88 के तहत धारा 65(1), 64(2-के), 64(2-एफ), 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4, 5(के), 6 में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार हैं।

परिजनों का आक्रोश, कड़ी कार्रवाई की मांग

मृतिका के परिजनों ने मामले में निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। उनका कहना है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।घटना के बाद पूरे वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। लोग स्तब्ध हैं कि एक ही घर में मां-बेटी के साथ ऐसा भयावह घटनाक्रम कैसे घटित हुआ।फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी है और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। सच्चाई क्या है, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन इस घटना ने शहपुरा की कानून-व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इनका कहना है

हमें सूचना मिली की वार्ड नंबर 6 चौधरी मोहल्ला शहपुरा में हरिओम चौधरी के घर में महिला का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद टीम के साथ यहां आकर तस्वीर दी गई जो घर के अंदर बाथरूम के पास एक महिला मृत अवस्था में बैठी अवस्था पड़ी हुई थी जिसके सर पे चोट है और प्रथम दृश्य हत्या की आशंका लग रही है। वही उसकी नाबालिक बेटी के साथ कुछ दरिंदगी की आशंका भी जताई जा रही है फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है।

अनुराग जामदार थाना प्रभारी शहपुरा

निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियमितताओं के आरोप

डिंडोरी। जिले में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सम्यक जैन ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर परियोजना में कथित तकनीकी खामियों की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच की मांग की है।अधिवक्ता जैन ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ;डीपीआरद्ध और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। उन्होंने डेंस बिटुमिनस मैकाडम ;डीबीएमद्ध परत की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाते हुए अपर्याप्त कम्पेक्शनए अव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टमए ढलान और ग्रेडिएंट में त्रुटियां तथा दुर्घटना संभावित मोड़ों के वैज्ञानिक पुनर्रचना के अभाव जैसी गंभीर खामियों का उल्लेख किया है।पत्र में कहा गया है कि हजारों करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस परियोजना में निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण में कथित लापरवाही बरती जा रही हैए जो भविष्य में आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। अधिवक्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय से संयुक्त निरीक्षण दल गठित कर स्वतंत्र तकनीकी जांच करानेए दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि श्डबल इंजन सरकारश् में इस प्रकार की अनियमितताएं क्यों सामने आ रही हैं और आरोप लगाया कि हर स्तर पर कमीशनखोरी इसकी वजह है।सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से पूछा कि क्या दोषी ठेकेदारों को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की हालांकिए समाचार लिखे जाने तक संबंधित विभाग या निर्माण एजेंसी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि जांच में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैंए तो यह मामला न केवल सार्वजनिक सुरक्षा बल्कि सरकारी धन के उपयोग और परियोजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा।फिलहाल जिले में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हैं और लोगों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

गोंगपा ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन, गांव गांव पहरेदारी की चेतावनी

डिंडौरी। आदिवासी बाहुल्य और पांचवीं अनुसूची क्षेत्र डिंडौरी जिले में कथित अवैध शराब बिक्री को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बजाग थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए अवैध शराब की सप्लाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जिले में शहपुराए समनापुरए गाडासरई और करंजिया में कुल चार शराब दुकानें अधिकृत रूप से संचालित हैं। इसके बावजूद आरोप है कि शराब ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर गांव.गांव अवैध रूप से शराब पहुंचाई जा रही है। संगठन का कहना है कि यह स्थिति सामाजिक ताने.बाने के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है।पार्टी नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि अवैध शराब की आसान उपलब्धता के कारण युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहा है। इसके चलते परिवारों में विवादए मारपीटए आपसी झगड़े और सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक अस्थिरता और असुरक्षा का माहौल बन रहा हैए जिससे आमजन में आक्रोश व्याप्त है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आरोप लगाया कि इस संबंध में पूर्व में कई बार जिला प्रशासन को शिकायतें की गईंए लेकिन पुलिस प्रशासन एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन में विभाग और ठेकेदारों के बीच कथित सांठगांठ की आशंका भी व्यक्त की गई हैए जिसके कारण अवैध कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।पार्टी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आबकारी विभाग अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने में विफल रहता है तो समाज एवं संगठन के कार्यकर्ता स्वयं जिले के प्रत्येक गांव में पहरेदारी कर अवैध बिक्री रोकने का प्रयास करेंगे। साथ ही स्पष्ट किया गया कि यदि इस दौरान ठेकेदार या उनके कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार का विवादए मारपीट या झूठे प्रकरण दर्ज कराने का प्रयास किया जाता हैए तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रशांत मरावी ;ब्लॉक अध्यक्षए बजागद्धए उपेंद्र कोरी ;जिलाध्यक्षए अजा मोर्चाद्धए गोपालए मनोहरए प्रताप सिंहए जयप्रकाशए रतन सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।जिले में अवैध शराब बिक्री को लेकर बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।

बघरेली धनौली अंधे कत्ल का 8 घंटे में खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

डिंडौरी। गाड़ासरई थाना पुलिस ने बघरेली धनौली मार्ग पर मिले अज्ञात शव के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र आठ घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया हैए जबकि उसका साथी फरार है।पुलिस के अनुसार 24 फरवरी 2026 की सुबह ग्राम बघरेलीदृधनौली के बीच सड़क किनारे खेत में एक व्यक्ति का शव लहूलुहान हालत में मिलने की सूचना मिली। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक गिरवर सिंह उइके पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए जांच शुरू की गई।मृतक की पहचान भारत लाल नंदाए निवासी ग्राम मझियाखारए जिला सिवनी के रूप में हुईए जो भारतीय डाक विभाग में कार्यरत थे। परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया।पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी के मार्गदर्शन में एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए। अलग.अलग टीमों का गठन कर संदिग्धों की तलाश शुरू की गई।जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद के चलते मृतक के साले पारसमणी उर्फ भूरा मांझी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। आरोपी मृतक को मड़वा नाचने और शराब पिलाने के बहाने साथ ले गया। रास्ते में शराब पिलाने के बाद पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी गई और पहचान छुपाने के उद्देश्य से सिर को कुचल दिया गया।त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी पारसमणी उर्फ भूरा मांझी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त सामग्री बरामद की गई है। फरार आरोपी की तलाश जारी है।गिरफ्तार आरोपी को बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

रफ्तार का तांडव! खड़ी कार से भिड़ी अनियंत्रित बाइक ने कार के उड़े परखच्चे, बाइक हुई चकनाचूर, चालक की हालत नाजुक

डिंडौरी। जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना अंतर्गत पुरानी डिंडौरी क्षेत्र में गुरुवार सुबह लगभग 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पुरानी डिंडौरी स्थित सब्जी मंडी के पास नायक के सामने सड़क किनारे खड़ी कार को तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बाइक के परखच्चे उड़ गए।मिली जानकारी के अनुसार जमुनिया निवासी सुरेश दास पिता रामादास गोयल उम्र 32 वर्ष बाइक चला रहे थे। उनके साथ गंगा सिंह पट्टा सवार थे। अचानक अनियंत्रित हुई बाइक सीधे खड़ी कार से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी और मौके पर अफरा.तफरी का माहौल बन गया।हादसे में बाइक चालक रामदास गोयल के सिर में गंभीर चोट आई हैए जबकि दूसरे सवार गंगा सिंह पट्टा को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी गईए जिसके बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों द्वारा घायल का उपचार किया जा रहा है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है।उल्लेखनीय है कि डिंडौरी जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। मुख्य मार्गों के साथ.साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही से हादसों का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सख्ती बरतने की मांग उठने लगी है।

अवैध खनिज उत्खनन व परिवहन पर कार्रवाई चार वाहन जब्त

डिंडौरी। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खनिज विभाग की टीम ने अलग.अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए चार वाहनों को जब्त किया।खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसारए 25 फरवरी 2026 को तहसील बजाग एवं करंजिया थाना क्षेत्र में एक 407 वाहन रेत का ओवरलोड परिवहन करते पकड़ा गया। वाहन को जब्त कर करंजिया थाना में सुरक्षार्थ रखा गया।इसी क्रम में 26 फरवरी 2026 को गाड़ासरई थाना क्षेत्र में दो वाहन अवैध खनिज परिवहन करते पाए गए। इनमें गिट्टी तथा बिना नंबर का वाहन रेत परिवहन करते पकड़ा गया। दोनों वाहनों को जब्त कर गाड़ासरई थाना में खड़ा कराया गया।इसके अतिरिक्तए डिंडौरी क्षेत्र में अवैध मुरूम उत्खनन करते पाए जाने पर एक ट्रैक्टर को जब्त कर कोतवाली थाना डिंडोरी में सुरक्षार्थ रखा गया है।खनिज विभाग ने बताया कि जब्त वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आगामी कार्रवाई की जाएगी तथा मामले न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।

जनगणना 2027 के जिला स्तरीय प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रथम चरण में 1 से 30 मई तक मकान सूचीकरण

डिंडौरी। भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के निर्देशानुसार जनगणना 2027 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण का आयोजन कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के मार्गदर्शन में 26 एवं 27 फरवरी को किया जा रहा हैए जिसमें नियुक्त चार्ज अधिकारी भाग ले रहे हैं।

प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर ने जनगणना को विकास योजनाओं की आधारशिला बताते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य बताया। उन्होंने अधिकारियों. कर्मचारियों को निर्धारित समय.सीमा में शत.प्रतिशत शुद्धता के साथ कार्य पूर्ण करनेए प्रशिक्षण से प्राप्त तकनीकी जानकारी को फील्ड में लागू करने तथा डिजिटल माध्यम से पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण डाटा संकलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को जानकारी दी गई कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस दौरान प्रगणकए सुपरवाइजर के निर्देशन में घर.घर जाकर सूचनाएं एकत्र करेंगे। जनगणना प्रक्रिया में इस बार मोबाइल एप के माध्यम से डाटा संकलनए जीपीएस से गणना ब्लॉक का सीमांकन तथा सीएमएमएस पोर्टल के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर चार्ज अधिकारियों की एडमिन आईडी तैयार कर फील्ड एवं मास्टर ट्रेनर्स का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और विभिन्न चरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी।कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरीए एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावीए एसडीएम बजाग श्री रामबाबू देवांगनए डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिकए सुश्री प्रियांशी जैन सहित सभी तहसीलदारए नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी.कर्मचारी उपस्थित रहे।अपर कलेक्टर जेण्पीण यादव ने अपने संबोधन में जनगणना को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए सभी अधिकारियों से प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य संपादित करने की अपेक्षा जताई। प्रशिक्षण सत्र में जनगणना के नोडल अधिकारी श्री सुधीर कुमारए सहायक निदेशक तथा जिला प्रभारी द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

सिंघवारा में नवांकुर सखियों के साथ सेक्टर बैठक संपन्न

डिंडौरी। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक के निर्देश एवं विकासखंड स्तर के मार्गदर्शन में सेक्टर 03 समनापुर अंतर्गत सिंघवारा ग्राम में सेक्टर स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्यों तथा नवांकुर सखियों की सक्रिय भागीदारी रही।बैठक के दौरान आदर्श ग्राम की अवधारणाए प्रस्फुटन समितियों के दस्तावेजीकरणए नर्सरी विकासए जनसूचना केंद्र के संचालन और संस्कार केंद्रों की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपस्थित सदस्यों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सा मु दा यि क सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए आ व श्य क दिशा.निर्देश प्रदान किए गए।इस अवसर पर प्रस्फुटन समिति के कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया। अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण एवं गतिविधियों के नियमित संचालन पर विशेष जोर देते हुए संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए।कार्यक्रम में परिषद के जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारीए कार्यालयीन स्टाफए नवांकुर प्रभारीए परामर्शदाता तथा प्रस्फुटन समिति के सदस्य एवं नवांकुर सखियां उपस्थित रहीं। बैठक के अंत में ग्राम विकास गतिविधियों को गति देने और योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प लिया गया।

खबर संक्षेप

72 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा

हरिभूमि न्यूज़ - नरसिंहपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत गुरुवार 26 फरवरी को जिले में बनाए गए कुल 72 परीक्षा केन्द्रों पर हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा सम्पन्न हुईं। जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि हायर सेकेंडरी स्कूल की राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में पंजीकृत कुल 5 हजार 92 परीक्षार्थियों में से कुल 5 हजार 27 परीक्षार्थी मौजूद थे और 65 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गईं। परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई तथा नकल का कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश ने निर्देश दिए कि आशा एवं एएनएम के माध्यम से सर्वे कराकर शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया जाए। जिन आशा कार्यकर्ताओं ने एक भी एएनसी पंजीयन नहीं कराया है, उन आशा कार्यकर्ताओं का पीबीआई बंद किए जाए। विकासखंड गोटेगांव अंतर्गत ग्राम करेली कलां के उप स्वास्थ्य केन्द्र को समय पर संचालन करने के निर्देश मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी गोटेगांव को दिए।

विकसित भारत युवा संसद का आयोजन आज

हरिभूमि न्यूज़ - नरसिंहपुर। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में विकसित भारत युवा संसद 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में किया जाएगा। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी उपस्थित रहेंगे।

महिलाओं को धमकाते हैं अवैध शराब विक्रेता

पांढुर्णा। आज विकासखंड के ग्राम बोरगांव के नशामुक्ति महिला मंडल के सदस्यों ने कलेक्टर पांढुर्णा को ग्राम अवैध कच्ची शराब के आसानी से उपलब्ध होने की शिकायत की है। महिला मंडल ने अपनी शिकायत में अवैध कच्ची शराब बेचनेवाले ग्रामीणों के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया है।शिकायत करनेवाली महिलाओं में सागर चिचाम, प्रियंका चिचाम, लेखराम बनारे, चरण सिंगारे, रामू सिंगारे, उज्वल नागवंशी, भावराव नागरवार, त्रिलोक सिंगारे, होमू सिंगारे, संजू लांजेवार, राजकुमार मर्सकोले और शामिल है। महिला मंडल ने आरोप लगाया है कि आरोपी महुआ की कच्ची शराब बनाते बनाकर गांव में विक्रय करते है, जिससे गांव की स्थिति खराब हो रही है। लोग शराब पीकर घर आकर परिवार के अन्य सदस्यों से विवाद करते है। नव युवक अधिक पीते है जिसका प्रभाव किशोर बच्चों पर पड़ता है। यही बच्चे गांव में आतंक फैलाते है। इस प्रकार शराब के सेवन से हमारा घर बरबाद हो रहा है। महिला मंडल ने अपनी शिकायत में कहा कि शराब विक्रेता और उनके परिवार की महिलाएं हमें धमकी देते हैं। शराब विक्रेता यह काम छोड़ने के ऐवज में अपने परिवार के पालन-पोषण और बच्चों की शिक्षा का खर्चा मांगते हैं।

आबकारी दल ने 1500 किलो लाहन किया नष्ट

पांढुर्णा। होलिका दहन पर्व को देखते हुए सहायक आज आबकारी विभाग पांढुर्णा के दल ने आज 26 फरवरी को ग्राम घोघरी, राजना एवं रैयतवाडी के नदी नालों में बन रहे कच्ची शराब के अड्डों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दबिश देकर 1500 किलो महुआ लाहन बरामद कर नष्ट किया। यह कारवाई आयुक्त भीम राव वैद्य के निर्देश पर हुई।

शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सौंपा ज्ञापन

अनियमितताओं की सूक्ष्मता से कराई जाए जांच

हरिभूमि न्यूज़ - नरसिंहपुर।

गत दिवस शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक नागरिकों द्वारा कलेक्टर के नाम शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा केंद्र में व्याप्त कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और मनमानी कार्यप्रणाली के विरुद्ध अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। शासन के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर को सौंपे गए एक विस्तृत ज्ञापन में जिले की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन में विभाग के भीतर चल रहे रसूखदार शिक्षकों के संलग्नीकरण और वित्तीय अनियमितताओं का कच्चा चिट्ठा खोला गया है।

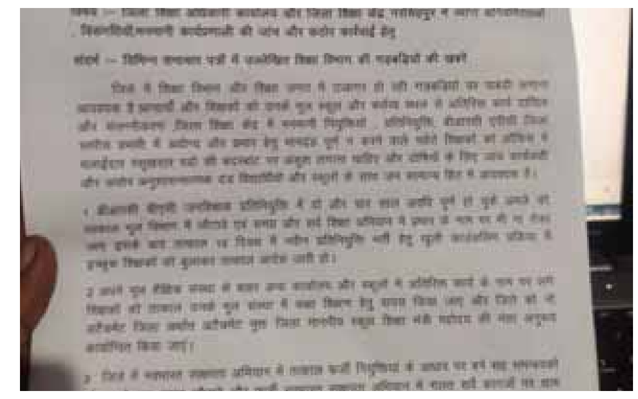

अटैचमेंट और प्रतिनियुक्ति में मनमानी

सौंपे गए ज्ञापन मे उल्लेख किया गया है कि जिले में अटैचमेंट की नीति का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अनेक शिक्षक और प्राचार्य अपने मूल स्कूल में अध्यापन कार्य छोड़कर जिला शिक्षा केंद्र और जिला शिक्षा कार्यालय में मलाईदार पदों पर जमे हुए हैं। मांग की गई है कि बीआरसी, बीएसी और जनशिक्षकों की दो से चार साल की अवधि पूर्ण होने पर उन्हें तत्काल मूल शालाओं में वापस भेजा जाए और खुली काउंसलिंग के जरिए पारदर्शी तरीके से नवीन नियुक्तियां की जाएं। जिससे लोगों को प्रशासन की नीतियों पर भरोसा कायम रह सके। शिक्षा विभाग में मनमानी का दौर जारी है। जिस पर लगाम लगाई जाये।

नवभारत साक्षरता अभियान में झोलझाल

शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए आवेदन मे बताया गया है कि नवभारत साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि जिले में केवल कागजों पर कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और फर्जी सर्वे के आधार पर असाक्षरों को साक्षर घोषित करने की परीक्षा ली गई। इस अभियान के नाम पर किए गए फर्जी बिलों के भुगतान की साइबर सेल और ट्रेजरी विभाग से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है ताकि सरकारी राशि के दुरुपयोग को रोका जा सके। ज्ञात हो कि जिले मे नव साक्षरता अभियान के नाम पर लाखों रूपए की गड़बड़ी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। बीत दिनो एफएलएन प्रशिक्षण में भी अनियमित्ताएं की गई थी।

निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और फर्जी बिलिंग

सौंपे गए आवेदन में बताया गया है कि जिले में वर्ष 2000 से स्वीकृत स्कूल भवनों, किचन शेड, बाउंड्रीवाल और अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई है। ज्ञापन के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में हुए मरम्मत और नवीन निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच आवश्यक है। चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और घटिया निर्माण के बावजूद फर्जी बिलिंग करने वाले उपयंत्रियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग दोहराई गई है। प्रशासन को चाहिए की शिकायत पर गंभीरता से जांच की दोषियों पर ठोस कार्रवाई की जाए।

निजी स्कूलों की मान्यता पर सवाल

शिकायती आवेदन में उल्लेख किया गया है कि जिले में संचालित ऐसे निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं। साथ ही, अशासकीय स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के मामलों में विभाग की शिथिलता पर भी चिंता जताई गई है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि समय रहते इन विसंगतियों पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो जिले के हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ज्ञात हो कि जिले मे ऐसे दर्जनों स्कूल है जो प्रशासन के नियमों का पूरी तरह पालन नही करते तथा निर्धारित मापदंड के अनुरूप ना तो व्यवस्थाएं है और ना ही पर्याप्त मात्रा मे भूमि है। प्रशासन को चाहिए की स्कूलों की जांच कर ठोस कार्रवाई की जाए।

12 जुआंरी गिरफ्तार, पुलिस ने की कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

जिले में जुआ एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे पुलिस द्वारा सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना करेली अंतर्गत एक विश्वस्त मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी कि करेली बस्ती क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोग जुआ खेल रहे है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा प्रभावी घेराबंदी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप 12 जुआरियों को गिरफ्त में लेने में सफलता प्राप्त हुयी है। जिसमे आरोपी महफूस खान उर्फ गोल, छोटे लाल दुवे उर्फ गुड्डा, जेनुल आरफिन, प्रदीप विश्वकर्मा, शरद कहार, राजकुमार सोनी, विनायक उर्फ बीनू गुप्ता, पवन सकरवार, राहुल प्रसाद ठाकुर, हेमराज कुशवाहा, अंकित मेहरा, पंकज महार सभी निवासी करेली बताए गए। आरोपियों से पुलिस ने 40000 नकद, ताश के पत्ते एवं अन्य जुआ सामग्री जप्त की गई। आरोपियों के विरूद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

जिला स्तरीय बालक कबड्डी प्रतियोगिता सम्पन्न

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

जिले में पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से एक दिवसीय जिला स्तरीय बालक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी स्टेडियम नरसिंहपुर में बुधवार को किया गया। प्रतियोगिता में जिले की सभी 6 विकासखंडों नरसिंहपुर, चीचली, सांईखेड़ा, करेली, गोटेगांव व चांवरपाठा की टीमों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नीलेश काकोड़िया व उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता राजेन्द्र ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज दुबे, पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल, सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, जिला समन्वयक श्रीमती संगीता पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी- कर्मचारी, खिलाड़ी और नागरिक मौजूद थे। अतिथियों ने जिला स्तरीय बालक कबड्डी प्रतियोगिता में विकासखंड चीचली की टीम प्रथम स्थान प्राप्त पर 21 हजार रुपये, नरसिंहपुर की टीम द्वितीय स्थान प्राप्त पर 11 हजार रुपये और करेली की टीम तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 5 हजार रुपये की राशि का चैक, प्रमाण पत्र व ट्राफी देकर सम्मानित किया।

सीईओ जिला पंचायत ने दिखाई जनजागरूकता रथ को हरी झंडी

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश ने कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन के परिसर से मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए जनजागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देशन में और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा के मार्गदर्शन में जनजागरूकता रथ जिले की सभी 6 विकासखंडों में भ्रमण कर आमजन को मलेरिया एवं अन्य मच्छर जनित रोगों से बचाव के उपायों की जानकारी देगा। इस अवसर पर डीएचओ डॉ. जीपी भनारिया, डीएमओ डॉ. राजकिशोर पटेल, एम्बेड परियोजना के जिला को-ऑर्डिनेटर रामकृष्ण जाट सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए एक डम्पर जप्त

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देशन में खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में निरीक्षण कर अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में निरीक्षण के दौरान गाडरवारा तहसील के ग्राम बसुरिया के पास खनिज मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए एक वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 28 जी 3139 को जब्त कर पुलिस चैकी सालीचैका में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। यह जानकारी प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा नरसिंहपुर ने दी है।

आदान विक्रेताओं को पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया प्रशिक्षण

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देशन में आदान विक्रेताओं का पाठ्यक्रम के अंतर्गत गुरूवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। परियोजना संचालक आत्मा नरसिंहपुर ने बताया कि ई- विकास प्रणाली के अंतर्गत ई- टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली, पराली प्रबंधन, जैविक खेती एवं प्राकृतिक कृषि क्षेत्रों का विस्तार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एकीकृत पोषक तत्व, कीट एवं रोग प्रबंधन प्रणाली, ग्रीष्मकालीन मूंग के स्थान पर उड़द की फसल को बढ़ावा देने, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

पशु जागरूकता एवं बांझ निवारण शिविर संपन्न

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुपालकों को समृद्ध बनाने और पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए नरसिंहपुर विकासखंड के ग्राम महमदपुर में एक दिवसीय क्षीर धारा ग्राम योजना के अंतर्गत पशु जागरूकता एवं बांझ निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य उन्नत पशुपालन तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना और पशुओं में बांझपन जैसी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करना था। शिविर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृत्रिम गर्भाधान केंद्र नरसिंहपुर के विभिन्न संस्था प्रभारियों की एक विशेष संयुक्त टीम गठित की गई थी। इस टीम ने ग्राम डांगीढाना में घर-घर जाकर आधारभूत सर्वेक्षण कर पशुओं का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया। एव्हीएफओ रोहित मेहरा ने पशुओं का सटीक गर्भ परीक्षण किया। एव्हीएफओ रजनीश गेड़ेवाल ने उन्नत एसएसएस तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य सम्पन्न कराया। विशेषज्ञों ने बांझपन की समस्या से ग्रसित पशुओं का उपचार किया और बधियाकरण की प्रक्रिया भी समझाइश दी गई।

होलाष्टक और पंचकों को लेकर समाज में फैला भ्रम और गलत अवधारणा

तेंदूखेड़ा

होलिकोत्सव के आठ दिन पूर्व से होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार होलाष्टक में विवाह आदि शुभ एवं मांगलिक कार्यों का निषेध माना जाता है। होलाष्टक का दोष शास्त्र मत के अनुसार केवल व्यास रावी सतलज नदी के तटीय क्षेत्रों में स्थित नगर ग्राम क्षेत्र जैसे संपूर्ण पंजाब हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पुष्कर क्षेत्र राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से होलाष्टक मानना शास्त्र सम्मत है।इसके अलावा भारत के अन्य भू भागों में होलाष्टक दोष का विचार नहीं करना चाहिए।अन्य क्षेत्रों में विवाह कार्य यज्ञ पूजन- पाठ गृहारंभ गृह प्रवेश व्यापार आदि के कार्य संबंधित मुहूर्त के अनुसार होते हैं।इसी तरह पंचक नक्षत्रों में अधिकांश कार्य शुभफलदायक होते हैं।

अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। जिनमें 6नक्षत्रों को मूल नक्षत्र की संज्ञा है। धनिष्ठा शतभिषा पूर्वाभाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती आदि पांच नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है।पंचक नक्षत्रों में विशेष रूप से पांच कार्य वर्जित हैं। 1 काष्ठ संग्रह 2 छत डालना छप्पर करना 3 शय्या निर्माण(पलंग बनाना)4 विशेष उद्देश्य से दक्षिण दिशा की यात्रा करना 5 शवदाह आदि कार्य विशेष रूप से वर्जित है। हमारे क्षेत्र के पौरोहित्य कर्मकाण्ड स्नातक आचार्य चतुष्टय वेद पुराण व्याकरण ज्योतिषाचार्य प्रमोद पचौरी ने बताया कि हमारे क्षेत्र में पंचक को लेकर कई प्रकार का भ्रम समाज में व्याप्त है। धार्मिक मांगलिक कार्यों से लेकर व्यक्तिगत तथा सामूहिक सभी कार्यों में पंचकों को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां हैं। जबकी हमारे धर्मशास्त्र मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार जन्म के पूर्व गर्भाधान पुंसवन सीमंत आदि संस्कार से लेकर जन्मोपरांत जात कर्म नामकर्म सूतिका स्नान दोलारोहण चूड़ाकरण अन्नप्राशन कर्णवेध क्षौरकर्म मुंडन विद्यारम्भ उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार कन्यावरण वर - वरण विवाह संस्कार आदि सभी कार्यों में पंचकों के अधिकांश नक्षत्र लिए गए हैं।पूजन पाठ अनुष्ठान देव प्रतिष्ठा यज्ञ हवन आदि धार्मिक कार्य ग्रहारम्भ गृह प्रवेश वाहन क्रय विक्रय व्यापार मशीनरी यात्रा आदि के मुहूर्त में भी पंचकों के धनिष्ठा उत्तराभाद्रपद रेवती आदि नक्षत्रों का ग्रहण किया जाता है। ज्योतिष शिरोमणि प्रमोद पचौरी ने बताया कि कुछ क्षेत्र विशेषों में पंचकों को लेकर गलत अवधारणा बनी हुई है कि इसमें कोई शुभकार्य नहीं करना चाहिए जबकि धनिष्ठा के उत्तरार्द्ध से रेवती नक्षत्र तक माने जाने वाले पंचकों में कुछ नक्षत्र सभी धार्मिक कार्यों के लिए लाभदायक और श्रेयष्कर होते हैं।